


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <b>श्रवण कुमार बनाम प्राधिकृत अधिकारी</b> <b>178/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00243)</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.03.20	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई, अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। प्रकरण में पुनः रूक रूककर कई बार आवाजे दिलवाई गई किन्तु अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण वर्ष 2017 से रेस्पोजेन्ट की तलबी में विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा रेस्पोजेन्ट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश भी नहीं किये गये और न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं है एवं अपीलान्त की ओर से अन्य कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की अपील को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right;">   <b>(के०सी०वर्मा)</b>  संभागीय आयुक्त,  संभाजयपुर आयुक्त  जयपुर </div>	